पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 9609

==========

1. मो. मुस्लिम अंसारी एवं अन्य पिता- स्व. इश मो. अंसारी, निवासी- गाँव - तिवारी मतिहानिया, डाक-शिपाया फार्म, थाना-बिशंभरपुर, जिला-गोपालगंज।

2. राजीव कुमार गुप्ता पिता- स्वर्गीय सरयुग प्रसाद, निवासी-मोहल्ला-पंकज मार्केट सरैयागंज, थाना-टाउन, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

3. मो. शमशाद आलम अंसारी पिता-मो. सैयद हुसैन अंसारी, निवासी मोहल्ला-लारोआरा, डाक-शुहिरद नगर, थाना-मुफसिल, जिला-बेगुसराय।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य

2. आयुक्त, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. जिला मजिस्ट्रेट, मुज़फ़्फ़रपुर।

4. प्रशासक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुज़फ़्फ़रपुर नगर निगम मुज़फ़्फ़रपुर

5. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शाकिर अहमद, अधिवक्ता

उत्तरदाता/गण के लिए : श्री एम. अंजुम, जीपी 1 के एसी

==========

बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007—धारा 38—याचिकाकर्ता ने प्राधिकृत प्राधिकरण के सामने कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया और सीधे न्यायालय के समक्ष गए ताकि उनकी दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में उनकी अवधि पर विचार किया जा सके

ताकि उसकी पूरी सेवा अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने और उसके द्वारा दी गई निरंतर सेवा के कारण लाभों के हक के निर्धारण में गिना जा सके—रिट_याचिका को निर्देश के साथ निस्तारित किया गया।

(पैराग्राफ 2 और 4)

सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 689 वर्ष 2024; (2014) 4 पीएलजेआर 229— ***संदर्भित किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक आदेश

27-02-2025 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान वकील और नगर निगम, मुजफ्फरपुर केविद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वे सभी उद्देश्यों के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई अवधि पर विचार करें क्योंकि अनुमोदन का अर्थ है प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा पुष्टि, ताकि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने और उनके द्वारा प्रदान की गई निरंतर सेवा के कारण लाभों के हकदारी के निर्धारण में गिना जा सके।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि दैनिक वेतनभोगी, जिनकी सेवाओं को ज्ञापन संख्या 2550 दिनांक 12.12.2015 के माध्यम से स्थायी कर्मचारी के रूप में अवशोषित/नियमित किया गया था, तब से नगर निगम, मुजफ्फरपुर में श्रेणी 3 के कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। वकील आगे इस

माननीय न्यायालय द्वारा 2024 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 689 में पारित दिनांकित 22.02.2024 आदेश द्वारा पारित निर्णय पर निर्भर करते हैं।

4. नगर निगम, मुज़फ़्फ़रपुर के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि बिहार नगर अधिनियम, 2007 के तहत नियुक्ति प्राधिकरण का उल्लेख उक्त अधिनियम की धारा 38 में किया गया है। वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर बिहार नगर अधिनियम, 2007 की धारा 38 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उक्त नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया है और सीधे इस माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम भगवान सिंह (2014) 4 पीएलजेआर 229*** के मामले में इस माननीय न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा कवर किया गया है।

5. तदनुसार, यह न्यायालय, इस मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, इस रिट याचिका का निपटारा करता है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 38 के तहत निर्धारित नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष आज से चार सप्ताह के भीतर उपचार का लाभ उठाने का निर्देश दिया गया है। आदेश के साथ याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त करने पर, नियुक्ति प्राधिकरण उसके बाद 90 दिनों के भीतर रिट याचिका में उल्लिखित निर्णयों पर विचार करते हुए एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

6. इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

अमन कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।